न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 21/22

लखनवाई पत्नि देवीसिंह जाति गूजर निवासी नगला वंशिया मजरा महरावर तहसील–बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. रुपो पत्नि वनयसिंह जाति गूजर निवासी नगला वंशिया मजरा महरावर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर राज0
2. बल्लो पत्नि_रुपसिंह जाति गूजर निवासी नगला वंशिया मजरा महरावर, तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0
3. शेरसिंह पुत्र दिलसुख जाति गूजर निवासी नगला वंशिया मजरा महरावर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर राज0

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील नामान्तकरण विरुद्व नामान्तकरण संख्या 438 ग्राम नगला जैता दिनांक 10.11.2022 ग्राम पंचायत महरावर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर।

निर्णय दिनांकः– 13/05/26

उपस्थितिः–श्री वेदप्रकाश शर्मा एड0 अपीलान्ट

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण विरूद्व नामान्तकरण संख्या 438 ग्राम नगला जैता दिनांक 10.11.2022 ग्राम पंचायत महरावर तहसील बयाना पेश कर निवेदन किया है कि आज्ञा लायक अदालत तहत् खिलाफ कानून व मौका के है व रुयेदाद मिसिल के है व काबिल निरस्तनीय है, लायक अदालत तहत् ने अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक किए जाने से पूर्व मौके की जांच नहीं की है जो कि किया जाना आवश्यक था अतः आज्ञा लायक अदालत तहत ने काविल निरस्तनीय है लायक अदालत तहत् ने अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किए जाने से पूर्व अपीलान्ट को व अन्य को कोई नोटिस नहीं दिया है जो दिया जाना आवश्यक था व अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किऐ जाने से पूर्व अदालत तहत् धारा 133 लैण्ड रैवन्यू एक्ट मौके की जांच व जांच व अपीलान्ट को नोटिस देने हेतु बाध्य थी लेकिन लायक अदालत तहत् द्वारा धारा 133 लैण्ड रैवन्यू एक्ट की कोई पालना नहीं की है अतः अपीलाधीन नामान्तकरण काविल निरस्तनीय है, रैस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 द्वारा अपने परिजनों के साथ दिनांक 1.11.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या–3 का उसके घर से प्रातः 4 बजे अपहरण करते हुए दिनांक 01.11.2022 को फर्जी वयनामा कराया गया था, रेस्पोडेट्स संख्या 1 व 2 द्वारा कोई भी विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा लिया गया है ना ही रेस्पोडेन्टस को कब्जा हस्तान्तरित किया है दिनांक 01.11.2022 को कराया गया विक्रयपत्र पूर्ण रुप से फर्जी है व बनावटी है व अधिकार विहीन है तथाकथित फर्जी विक्रयपत्र में दर्ज खसरा नम्बर 4 व 5 को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.12.2015 को वऐवज मुवलिग दो लाख रुपया में क्रय किया जा चुका है व उसी दिन इन दोनों नम्बरों पर अपीलान्ट क्रेता लखनवाई को मौके पर कब्जा व दखल दे दिया गया है इस प्रकार उक्त दोनों नम्बरों पर क्रय करने के दिनांक से लेकर आज तक लखनवाई का कब्जा काश्त है व आज भी लखनवाई द्वारा बोई गई फसल गेहू मौके पर सरसब्ज खडी है व उक्त दोनों नम्बरों के विक्रय करने के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कोई अधिकार ही नहीं थे शेष आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का आज भी कब्जा काश्त है व अपीलान्ट द्वारा कोई गई फसल गेहू सरसब्ज खडी है व अपीलान्ट का मालिकाना कब्जा आज भी मौके पर है, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का दिनांक 01.11.2022 को अपहरण किया गया था जिसकी रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की पत्नि रेणू द्वारा थाना बयाना पर दर्ज कराई गई थी उक्त फर्जी वयनामा कराये जाने की बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के विरुद्व धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी. आई.पी.सी. के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो जैर अनुसंधान है, लायक अदालत तहत का दाखिल खारिज पूर्ण रूप से फर्जी है दिनांक 10.11.2022 को ग्राम पंचायत की कोई

भी मीटिंग किसी प्रकार की नहीं हुई थी फर्जी मीटिंग दिखाकर उक्त अपीलाधीन दाखिल खारिज दर्ज व तस्दीक किया गया है, अपीलाधीन नामान्तकरण विधि के विपरीत रेस्पोडेन्टान से साज करके गोपनीय रुप से फर्जी विक्रयपत्र के आधार पर दर्ज व तस्दीक किया गया है जो विधि विरुद्व होने के कारण काविल खारिजी के है।

अन्त में अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या–438 दिनांक 10.11.2022 ग्राम नगला जैता ग्राम पंचायत महरावर बयाना निरस्त फरमाया जाकर दिनांक 10.11.2022 से पूर्व की स्थिति वहाल फरमाई जाने का निवेदन किया है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 27.05.2024 को रैस्पोडेन्टस 01 लगायत 03 बाद तलबी न्यायालय हाजा उपस्थित नहीं होने पर इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

प्रकरण में हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को एकपक्षीय सुना। एड0 अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने अपील एवं अपील में संलग्न दस्तावेजात फोटोप्रति नामान्तकरण संख्या 438 दिनांक 10.11.2022, फोटोप्रति इकरारनामा दिनांक 01.10.2012 एवं अन्य का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन निष्कर्ष आता है कि रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर उक्त नामान्तकरण हुआ है। रजिस्ट्री आज दिनांक तक कैंसिल नहीं हुई है। अपीलान्ट इकरारनामा के आधार पर सहायता चाहती है। जो सम्भव नहीं है। नामान्तकरण में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई। नियमानुसार ही नामान्तकरण हुआ है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.26 **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।**

(दीपक मित्तल आर.ए.एस**)**
उपखण्ड अधिकारी
बयाना